

26.08.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।  
वकील वादी को बार-बार अपसर देने पर भी  
प्रतिवादीगण के शक्ति सम्पन्न तलपाना पेश नहीं  
किया गया है एवं न ही प्रतिवादीगण की तलबी  
कवाई गई है। वकील वादी द्वारा आदेश-9  
निम्न-5 CPC के प्राधान्यों की पालना नहीं  
की गई है। अतः वादी का यह वादपत्र तलबी  
के अभाव में इसी स्तर पर रजिस्ट्रिज किया  
जाता है। पत्रावली बाद तुरन्त तकनील दस्तावेज  
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखापा जाकर छुले न्यायालय  
में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार चौधान)

AAS.